sector participation in the power sector. Consequently, in order to meet the emerging demand of coal for new power stations, the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 was amended in 1993 to allow private sector participation in coal mining for power generation, setting up of washeries and other end uses that may be notified by the Government, besides existing provision for making iron and steel. In conformity with the policy of the Government virgin mining blocks have been identified in coalfields in Maharashtra for captive mining by M/s. Nippon Denro Ispat Ltd. for meeting the coal requirement of the proposed Bhadraval TPS arid by M/s. Associated Cement Companies Ltd. for meeting the requirement of coal of their captive power plant.

(c) and (d) Yes, Sir.

(e) Does not arise.

Export of Cashewnuts

1. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether any decision has been taken to export cashewnuts during the current fiscal year;

(b) if so, the quantity of cashewnuts that is proposed to be exported and the likely earnings of foreign exchange therefrom; and

(c) the anticipated effects on domestic employment and prices on account of cashewnut exports?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) During 1994-95, 80,464 metric tonnes of cashew including Cashewnut Shell Liquid (CNSL) valued at Rs. 1244.26 crores were exported. During 1995-96, a target of export of cashewnut including CNSL worth Rs. 1500 crores has been set. Enhanced exports of cashewnut (including CNSL) are likely to have a positive effect on domestic employment and prices.

राज्यों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण

2. **श्री नरेश यादव** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजानिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को आवश्यक वस्तुएं वितरित करने का आधार क्या हैं;

(ख) क्या बिहार को उसकी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजलनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की परस्पर आवाश्यकताओं तथा मौसमजन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए सार्वजानिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का थोक में आवंटन करती हैं। लेवी चीनी का आवंटन सामान्यतः 1.10.86 को अनुमानित जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक माह प्रति व्यक्ति 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के एकसमान मानदण्ड पर किया जाता हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, जिसमें बिहार शामिल हैं, अगस्त, 1991 से मार्च, 1994 तक लेवी चीनी के आवंटन में 5% तदर्थ वृद्धि की गई थी। सार्वजानिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का आवंटन समग्र उपलब्धता के अधीन भूतकालिक आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आंकलित मांग को ध्यान में रखते हुए आयातित स्टाक की उपलब्धता के अधीन सर्वाजानिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के वास्ते आयातित खाद्य तेल का आवंटन भी करती हैं। देश में उत्पादन के आधार पर साफ्ट कोक/सी.आई.एल. कोक का भी आवंटन किया जाता हैं। केन्द्रीय सरकार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें बिहार शामिल हैं, को सार्वजानिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आवंटन करते समय उनकी वास्ताविक आवश्यकताओं पर विचार करती हैं। सार्वजानिक वितरण प्रणाली के आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और ये किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से नहीं किए जाते हैं। तथापि पिछले तीन वर्षो के दौरान बिहार को किए गए आबंटन की तुलना में चावल और गेहूं की उठाई गई मात्रा बहुत कम रही हैं। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	गेहूं		चावल	
	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा
1992	617.36	559.20	247.06	142.50
1993	725.16	426.90	305.16	93.50
1994	702.40	271.20	354.40	50.90

*** बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल. के अन्तर्गत कोयला खाने**

3. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष में बी.सी.सी.एल. एवं सी.सी.एल. की कितनी कोयला खदानों में खुदाई का काम हुआ हैं और इन दोनों संगठनों मे हुए उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले एक वर्ष में बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल. की किसी खदान में दुर्घटना के कारण श्रमिकों की मृत्यु हुई है; और

(ग) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और क्या उनके परिवार-जनों को किसी तरह का मुआवजा दिया गया हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार पांजा) : (क) भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (से.को.लि.) खानों से, जहां कि उत्खनन किया गया था, उनसे वर्षउ 1994-95 के दौरान हुए उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

कंपनी	खानों की संख्या	उत्पादन (मि. टन मे) (अंनतिम)
भा.को.को.लि.	95	28.76
से.को.लि.	73	31.29

(ख) और (ग) वर्ष 1994 के दौरान भा.को.को.लि. और से.को.लि. की खानों में दुघटनाओं के कारण 59 खान कामगारों की मृत्यु हो गई। मुआवजे की राशि कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 मे दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत दी जाती हैं और यह कामगारों की आयु तथा मासिक आय पर आधारित होती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, मृतक कामगारों के आश्रिकतों को निम्नलिखित रूप से राशि अदा की गई।

(1) अन्तेष्टि व्यय :500/रू.

(2) अनुग्रह राशि :10,000/रू.

(3) जीवन बीमा योजना के अंतर्गत देय राशि :15,000/ रू.

इसके अतिरिक्त,मृतक के किसी एक आश्रित को रोजगार दिए जाने की भी पेशकश की जाती हैं। रोजगार के एवज् मैं वैकल्पिक रूप से विधवा/महिला आश्रिक को 3000/ रू. प्रति माह की अदायगी, उसको 60 वर्ष की आयु प्राप्त किए जाने/मृत्यु हो जाने/ पुनर्विवाह किए जाने इसमें से जो भी पहले हो, दी जाती हैं।

Primary Education to Child Labour

4. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government of Gujarat has in a report recently apprised the Central Government of an action plan for providing primary education to child labourers engaged in diamond cutting and polishing, powerlooms, chemical fire cracker units and other units in the State;,